भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. †*153

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

"मीट इन इंडिया" के सहायतार्थ पृथक एमआईसीई धनराशि

†*153. श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय एमआईसीई उद्योग के लिए जी-20 का लाभ उठाने और उसकी गति बनाए रखने के लिए भारत की 'मीट इन इंडिया' ब्रांडिंग और विपणन को सहायता देने हेतु बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) से संबंधित एक अलग कोष पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कोष से देश में बड़े और प्रतिष्ठित एमआईसीई आयोजनों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग लेने में हितधारकों को सहायता भी मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने सफल विजेता/उपविजेता को बोली की तैयारी करने संबंधी लागत की प्रतिपूर्ति करने और चैंपियंस सेक्टर सेवा योजना तथा बाजार विकास सहायता योजना जैसी प्रोत्साहन योजनाओं को सुदृढ़ और पुनरुज्जीवित करने का भी वायदा किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

“मीट इन इंडिया” के सहायतार्थ पृथक एमआईसीई धनराशि के संबंध में दिनांक 13.02.2023 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. †*153 के भाग (क) से (च) के उत्तर में विवरण

(क) से (घ) : पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सम्मेलन केंद्रों के विकास संबंधी अवसंरचना के लिए राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है । इस योजना के अंतर्गत देश में आठ सम्मेलन केंद्रों के विकास के लिए 266.95 करोड़ रु. की कुल राशि की स्वीकृति दी गई है ।

पर्यटन मंत्रालय ने इंडिया कंवेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) के सहयोग से मार्च, 2021 में खजुराहो में एमआईसीई रोड शो का आयोजन किया ताकि एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत की विशेषताओं पर बल देने के लिए इस उद्योग के घरेलू क्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को इस मंच पर लाया जा सके । इस रोड शो ‘मीट इन इंडिया’ के दौरान एमआईसीई गंतव्य के रूप में देश के संवर्धन के लिए ‘अतुल्य भारत’ के अंतर्गत एक अलग उप-ब्रांड की शुरूआत की गई ।

देश में एमआईसीई उद्योग की प्रगति और एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है।

पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है कि एमआईसीई क्षेत्र को भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान सृजित अवसरों के लाभ के साथ-साथ उसके बाद भी लाभ मिले ।

(ड.) से (च) : घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के दायरे और पहुंच में वृद्धि के लिए नवम्बर, 2020 में इस योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । संशोधित एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार हितधारकों को घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग भी अब इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों सहित उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के लिए ऑनलाइन संवर्धन के साथ अतिरिक्त संवर्धनात्मक कार्यकलाप शामिल किए गए हैं । एमडीए योजना के अंतर्गत अनुमत्य वित्तीय सहायता की सीमा में भी वृद्धि की गई है । ये दिशानिर्देश एमआईसीई हितधारकों पर भी लागू हैं ।

मंत्रालय ने चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत एमआईसीई वर्ग के संवर्धन के लिए दिशानिर्देशों के निम्नलिखित दो घटकों का उदारीकरण भी किया है :

(i) दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्रता के लिए सम्मेलनों में न्यूनतम भागीदारों की संख्या 500 से घटाकर 250 कर दी गई है ।

(ii) होटल में ठहरने पर लगने वाले जीएसटी पर प्रोत्साहन को मौजूदा 1 (एक) रात्रि के स्थान पर बढ़ाकर अब 2 (दो) रात्रि के लिए कर दिया गया है ।

*****